GSTIN : 09AAACU8823E1Z9

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Transmission Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

कारपोरेट टैक्स (जी०एस०टी० सैल) Corporate Tax (GST CELL)

CIN: U40101UP2004SGC028687

द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, फैक्स– 8270, 8257
IInd Floor, Shakti Bhawan Ext., 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

पत्र सं0: 04/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सैल/2017–18 दिनांक: 13.09.2017

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0

मुख्य अभियन्ता (डी0एण्डपी0)/765के0वी0/
सी0 एण्ड सी0/सी0एम0यू0टी0/जानपद (i)/(ii)
पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण
उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0
लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा

विषय :– जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व आमंत्रित की गयी सिविल कार्यों की निविदा निस्तारण हेतु एवं पूर्व में सम्पादित आपूर्ति एवं टर्नकी आधार पर किये गये अनुबन्धों पर जी0एस0टी0 से सम्बन्धित दिशा–निर्देश।

1. जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व आमंत्रित की गयी सिविल कार्यों की निविदा निस्तारण के सम्बन्ध में।

जैसा कि विदित है कि 01.07.2017 से जी0एस0टी0 लागू हो गया है एवं पूर्व में लागू समस्त कर (Excise Duty, CST, VAT, Purchase Tax & Entry Tax) समाप्त कर केवल जी0एस0टी0 का प्रावधान किया गया है।

सिविल कार्यो हेतु शिड्यूल ऑफ रेट (SOR) मण्डल स्तर पर बनाये जाते है जिसमें सीमेन्ट, स्टील, ईंट, गिट्टी, बालू इत्यादि में सभी कर शामिल होते है जिसके आधार पर अनुमानित लागत सूचित करते हुए निविदाए आमंत्रित की जाती है। जी0एस0टी0 01.07.2017 से लागू होने के कारण पूर्व में आमंत्रित निविदाओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। निविदाओं का निस्तारण करने हेतु यह आवश्यक है कि शिड्यूल ऑफ रेट में पूर्व में लागू करों को डी–लोड (रिवर्स कैल्कुलेशन) करते हुए दरों को कर–रहित कर लिया जाये। कर रहित दरों पर अलग से जी0एस0टी0 दिया जायें।

उदाहरण के तौर पर जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व किसी वस्तु का शिड्यूल ऑफ रेट (SOR) 100 रू0 था एवं वैट रेट 04% एवं Excise Duty 12.5%, जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात् निम्नलिखित अनुसार उस वस्तु का नया शिड्यूल रेट निकाला जा सकता है :–

Schedule Rate		₹ 100.00
Less VAT @ 4%	$\frac{100}{104} X 4$	₹ 3.85
		₹ 96.15
Less Excise @ 12.5%	$\frac{96.15}{112.50} X 12.5$	₹ 10.68
Base Price		₹ 85.47
Add GST @ 18%		₹ 15.38
Revised Schedule Rate		₹ 100.85

इस प्रकार शिड्यूल ऑफ रेट (SOR) को संशोधित करते हुए कर–रहित संशोधित शिड्यूल ऑफ रेट तैयार करते हुए निविदाओं का निस्तारण किया जा सकता है।

जी0एस0टी0 रजिस्टर्ड निविदादाताओं से ही संव्यवहार किया जायें। भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में दरें जी0एस0टी0 रहित प्राप्त की जाये एवं उस पर तत्समय लागू दर से जी0एस0टी0 का भुगतान किया जायें।

2. Supply from SEZ/Excise exempted zones-

पूर्व में कुछ दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों जैसे उत्तरांचल, दादर नगर हवेली आदि स्थित फर्मों के लिए एक्साइज ड्यूटी, सेल्सटैक्स पर छूट का प्रावधान था। ई0डी0 एवं सेल्सटैक्स छूट के कारण इन स्थानों पर स्थित फर्मों द्वारा अधिक एक्सवर्कस दरें देने के पश्चात् भी Total FOR दरें (टैक्स एवं ड्यूटी सहित) कम प्राप्त होती थी, परन्तु जी0एस0टी0 की दरें समान होने के कारण इन अनुबन्धों पर उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा।

इन भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित फर्में अधिक एक्सवर्कस दरें उद्धत करने के पश्चात् भी एक्साइज ड्यूटी व सेल्सटैक्स की छूट के कारण न्यूनतम निविदादाता रहते थे परन्तु यदि इन फर्मों की अनुबन्धित एक्सवर्कस दरों पर जी0एस0टी0 दिया जाता है तो निगम के ऊपर अधिक भार आएगा। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसी फर्मों को यह आफर दिया जाए कि वे पूर्व में लागू For Destination Price की दर जिसमें जी0एस0टी0 सम्मिलित है मानते हुए स्वीकार कर ले। अन्यथा की स्थिति में इस प्रकार के अनुबन्धों को शार्ट क्लोज करना प्रस्तावित है।

(प्रभोत कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबन्धक
(कारपोरेट टैक्स)

पत्र सं0: 04/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सैल/2017-18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।

2- उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण, लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा।

3- उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (निधि), उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।

4- अधिशाषी अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

13/9/17

(प्रभात कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबन्धक
(कारपोरेट टैक्स)